कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक/मानचित्र/ले–आउट/25–26/4617–4618 दिनांक: 31/10/2025

श्री ओमप्रकाश सिसोदिया एचयूएफ कर्ता श्री ओमप्रकाश सिसोदिया पुत्रश्री सज्जन सिंह सिसोदिया, श्रीमती नीलम काबरा पत्निश्री दिलीप काबरा, सतीश. तापड़िया एचयूएफ कर्ता श्री सतीश तापड़िया पुत्रश्री रामजीवन तापड़िया, नीधी पुत्री श्री ओमप्रकाश सिसोदिया, पुश्पा पत्नि श्री सतीश तापड़िया, रतन देवी पत्नि श्री रामराय माहेश्वरी
निवासी–भीलवाड़ा

विषय – राजस्व ग्राम– स्वरुपगंज खसरा संख्या 920/285, 922/297, 300, 299/1पार्ट, 300/2, 281/1, 282/1, 284 क्षेत्रफल 15769.00 वर्गमीटर के आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान में अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:– न्यास स्तरीय ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 27.10.2025

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक: एफ 3 (77)न.वि.वि./3/2010 दिनांक 28.06.2010 द्वारा जारी निजी क्षेत्र में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं हेतु नीति 2024 (10 हेक्टेयर से कम) के अन्तर्गत आपके आवेदन के कम में ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 27.10.2025 में लिये गये निर्णयानुसार ले–आउट प्लान स्वीकृति उपरांत योजना विकसित किये जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ जारी किया जा रहा है।

1. अनुमोदित योजना प्लान में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी है।
2. **आवेदित भूमि हेतु न्यास कोष में बाहय विकास, रुपान्तरण शुल्क आदि 90 दिवस के भीतर जमा करवाये जाने होगें अन्यथा उक्त लेआउट प्लान निरस्त माना जावेगा।**
3. नियमानुसार कृषि भूमि रूपान्तरण राशि न्यास कार्यालय में जमा करवानी होगी।
4. योजना में विकास कार्य उक्त तिथि से 6 माह में प्रारम्भ व 18 माह में पूर्ण करना होगा। विकास कार्य पॉलिसी में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न्यास के संबंधित अधिषाशी अभियंता की देखरेख में कराना होगा, निर्धारित समयावधि में मानदण्डों के अनसुार योजना के सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर अधिवास प्रमाण–पत्र लिया जावेगा, तथा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत 3 वर्ष तक रख–रखाव करना होगा।
5. ले–आउट प्लान अनुसार भूमि का विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भूखण्डों पर न्यास से भवन निर्माण स्वीकृति भवन विनियम 2025 के प्रावधानों के अन्तर्गत लिये जाने के उपरांत भवनों का निर्माण किया जा सकेगा या दोनों कार्य साथ–साथ भी किये जा सकेंगे।
6. बाहरी विकास कार्य आदि के संबंध में आपके प्रस्ताव पर न्यास द्वारा पृथक से निर्णय लिया जावेगा।
7. योजना में भूखण्डों पर मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भीलवाड़ा, भवन विनियम 2025 के अनुसार सेट बेक, ऊंचाई, पार्किंग, बी.ए.आर, व अन्य पैरामीटर्स अनुज्ञेय होंगे।
8. कॉर्नर के भूखण्डों की नियमानुसार गोलाई छोड़नी होगी।
9. आंतरिक विकास कार्य के पेटे 10.0 % विक्रय योग्य भूखण्ड **(भूखण्ड सं 32 से 41 कुल भूखण्ड..10)** आरक्षित किये जाते हैं, **उक्त भूखण्ड नगर विकास न्यास में रहन है एवं जिनकी बुकिंग न्यास द्वारा भूखण्ड रहनमुक्त करने के उपरांत ही की जा सकेगी। उक्त भूखण्डों को किसी को भी बैचान नहीं करें। यदि बैचान किया जाना पाया जाता है तो स्वीकृति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। उपरोक्तानुसार 10.00 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉर्गेज डीड संपादित करवायें।**
10. **सड़क/सुविधा क्षेत्र में आने वाली भूमि को निःशुल्क छोड़नी होगी। अनुमोदित ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों के अतिरिक्त भूमि खाली छोड़ी जावेगी। जिसे अनुमोदित ले आउट प्लान अनुसार अंकित किये उपयोग हेतु सड़को की भूमि सहित स्पष्ट रूप से चिन्हित (डिमार्केट) करना होगा।**
11. **स्वीकृत प्लान अनुसार ही विकास कार्य किये जावेगें योजना में किसी प्रकार का संशोधन न्यास की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।**

Neelam Kabra

Scanned with OKEN Scanner

12. रैनवाटर हारवेस्टिंग के लिये व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। विकसित की जाने वाली योजना में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार सडकें, सीवर लाईन, नाले ओवरहेड, केबल्स् आदि के लिये सम्बन्धित संस्था को 'राईट आफ वे' दिया जावेगा।

13. राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त ले–आउट प्लान का पंजियन राजस्थान रेरा में करवाया जाना होगा।

14. टाउनशिप पॉलिसी–2024 के तहत आवेदक को न्यास में कॉलोनाईजर/विकासकर्ता का पंजिकरण करवाया जाना होगा।

15. स्वीकृत ले–आउट प्लान की प्रति जानकारी हेतु योजना स्थल पर बोर्ड पर लगाई जावें, जिसमें न्यास में रहन रखे गये भूखण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जावें।

16. ले–आउट में सड़कों का लेवल इस प्रकार हो कि ड्रेनेज की व्यवस्था मुख्य सड़कों पर स्थित ड्रेन में सुचारू रूप से हो सके।

17. आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत् टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों के अनुसार विकास कार्य करने होंगे।

18. टाउनशिप पॉलिसी–2024 में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना करनी होगी।

19. उपरोक्तानुसार पालना नहीं होने पर स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न– अनुमोदित ले–आउट प्लान की प्रति।

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भीलवाड़ा

क्रमांक/मानचित्र/ले–आउट/25–26/ दिनांकः

प्रतिलिपि :–

1. प्रभारी अधिकारी, नियमन शाखा को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार 10.00 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉरगेज डीड संपादित करवायें। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत मुक्त किये जा सकेगें । स्वीकृत ले–आउट प्लान की प्रति मास्टर पत्रावली में संधारित करावें।

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भीलवाड़ा

LAYOUT PLAN OF ARAJI NO. 281/1 (0.1770), 282/1 (0.0126), 284 (0.1138), 300/2 (0.3035), 300 (0.1517), 920/285 (0.2256), 922/297 (0.2133)
PART ARAJI NO. 299/1 (0.3794) (TOTAL AREA 0.5311 HECT. MAIN SE 0.3794 -SCHEME AREA)
(RAKBA 1.5769 HECT.)
AT VILLAGE SAWROOPGANJ TEH.HAMIRGARH DIST.BHILWARA (RAJ.)
SCALE - 1" = 50'0"
PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL
OWNER :-

DETAILS OF LAND AREA (RAKBA 1.5769 HECT. - 169735.93 SQ FT.)

S.NO.	PARTICULAR	AREA IN SQFT.	AREA IN SQ.Y.	AREA IN SQ.M	PARCENTAGE
1.	PLOT AREA	93080.00	10342.23	8647.42	54.83
2.	INFORMAL AREA	4600.00	511.11	427.35	02.71
3.	FACILITY (HOSPITAL) AREA	6790.00	754.44	630.81	04.00
4.	PUBLIC UTILITY AREA	6790.00	754.44	630.81	04.00
5.	PARK&PLAY GROUND AREA	11885.00	1320.56	1104.15	07.00
6.	ROAD AREA	46590.94	5176.77	4328.46	27.46
7.	TOTAL AREA	169735.94	18859.55	15769.00	100.00

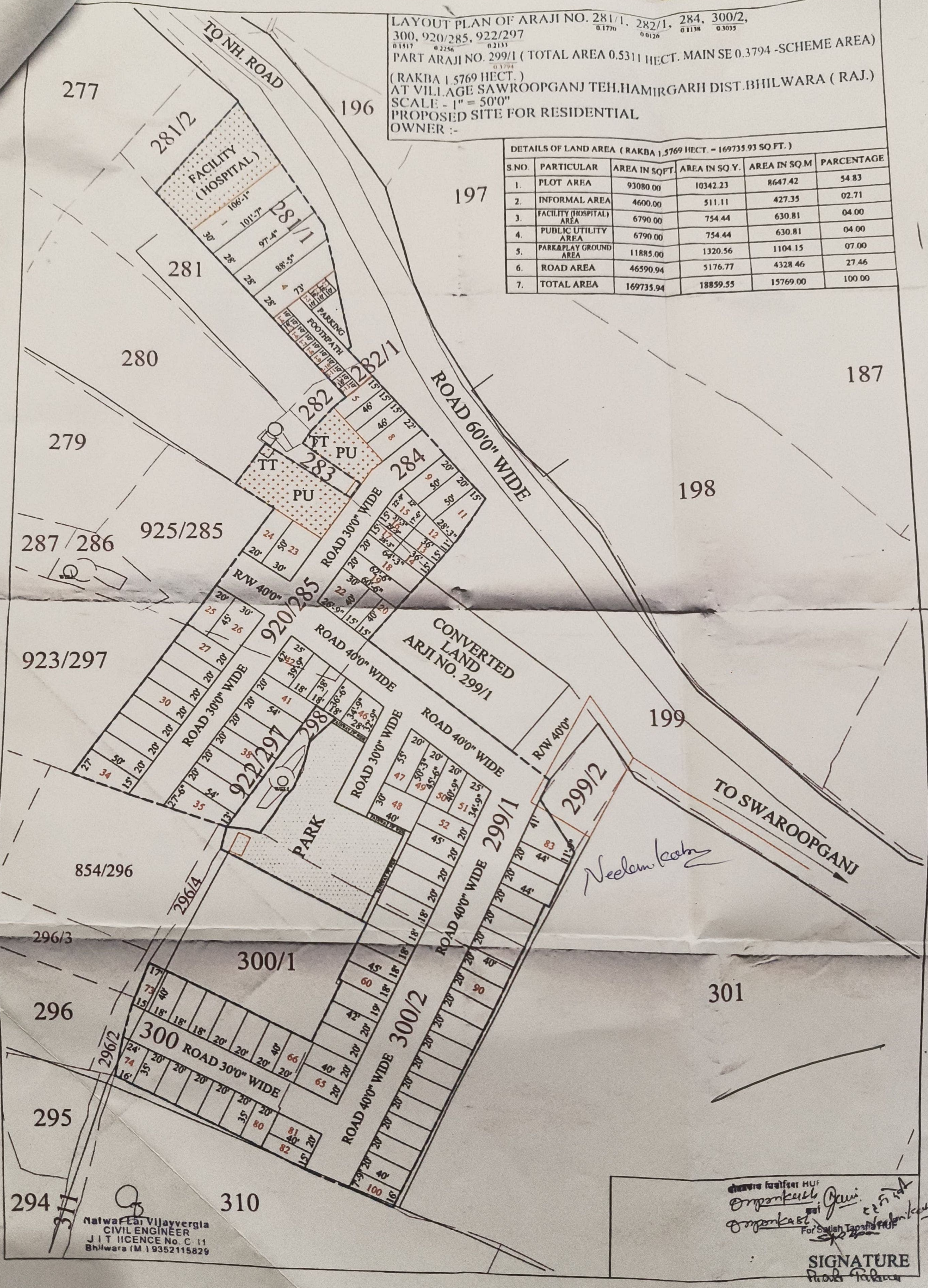

Natwar Lal Vijayvergia
CIVIL ENGINEER
J I T LICENCE No. C 11
Bhilwara (M.) 9352115829

For Satish Tapadia HUF

SIGNATURE

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक :–मानचित्र/2024/4596 - 4600 दिनांक :– 28/10/25

–::– कार्यवाही विवरण –::–

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.2(3)नविवि/चि./2017 जयपुर, दिनांक 06/11/2018 के क्रम में कृषि भूमि पर बसी योजनाओं/न्यास योजनाओं के ले–आउट प्लान अनुमोदन के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक दिनांक 27.10.2025 को सायं 04:00 बजे श्रीमान सचिव महोदय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुए :–

1. **श्री ललित गोयल** — अध्यक्ष
   सचिव,
   नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
2. **श्री चिमन लाल मीणा** : सदस्य
   विशेषाधिकारी
   नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
3. **श्रीमति राजू बडारिया** : सदस्य
   अधिक्षण अभियन्ता (का.)
   नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
4. **श्री धनेश रूणवाल**
   उप नगर नियोजक — सदस्य सचिव
   नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

बैठक में निम्नानुसार प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये–

एजेण्डा नोट:–01

1	योजना/आवेदक का नाम पत्रावली कमांक नं.	श्री आयूष गट्टानी पुत्रश्री नवरतन गट्टानी 1669	
2	खसरा नं0 व ग्राम का नाम	आराजी सं. 3043/2982 राजस्व ग्राम–आटूण	
3	कुल क्षेत्रफल	0.0371 हैक्टयर (371.00 वर्गमीटर)	
4	पहुंचमार्ग एवं मौका रिपोर्ट	पहुँचमार्ग हेतु 40 फीट रास्ता उपलब्ध है	
5	भीलवाड़ा मास्टर प्लान 2035 में भू–उपयोग	आवासीय	
6	आवेदित उपयोग	आवासीय एकल पट्टा प्रयोजनार्थ	
7	प्रस्तुत ले–आउट प्लान अनुसार क्षेत्रफल विश्लेषण।	आवासीय 371.00 वर्गमीटर 100.00 प्रतिशत	Road 0 वर्गमीटर 0 प्रतिशत
		कुल क्षेत्रफल – 371.00 वर्गमीटर	
8	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकृत अधिकारी के आदेश क्रमांक LU2012/BHL/2025-26/100844 Date 17-09-2025	
9	कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट	पहुँचमार्ग हेतु 40 फीट रास्ता उपलब्ध है	
10	विधि अधिकारी की रिपोर्ट	90 ए हेतु प्रस्तावित आराजीयात पर कार्यालय हाजा के रिकार्ड के अनुसार विवाद नही पाया गया है। वर्णित आराजीयात का स्वामित्व संलग्न जमाबंदी रिकोर्ड के अनुसार आवेदक गण के नाम पर है। प्रकरण में विहित शपथपत्र, सर्मपण पत्र, क्षतिपूर्ति बंध पत्र इत्यादि प्रस्तुत किये गये है।तकनीकी परिक्षण उपरांत कार्यवाही की जा सकती है।	
11	भू–अवाप्ति	नगर विकास न्यास की भूमि अवाप्ति शाखा में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आवेदित	

Scanned with OKEN Scanner

एजेण्डा नोटः–05

योजना/आवेदक का नाम पत्रावली क्रमांक नं.	श्री ओमप्रकाश सिसोदिया एचयूएफ कर्ता श्री ओमप्रकाश सिसोदिया पुत्रश्री सज्जन सिंह सिसोदिया, श्रीमती नीलम काबरा पत्निश्री दिलीप काबरा, सतीश तापड़िया एचयूएफ कर्ता श्री सतीश तापड़िया पुत्रश्री रामजीवन तापड़िया, नीधी पुत्री श्री ओमप्रकाश सिसोदिया, पुष्पा पत्नि श्री सतीश तापड़िया, रतन देवी पत्नि श्री रामराय माहेश्वरी 1676
खसरा नं0 व ग्राम का नाम	आराजी सं. 920/285, 922/297, 300, 299/1पार्ट, 300/2, 281/1, 282/1, 284 राजस्व ग्राम– स्वरुपगंज
कुल क्षेत्रफल	1.5769 हैक्टयर (15769.00 वर्गमीटर)
पहुंचमार्ग एवं मौका रिपोर्ट	आवेदित भूमि मौके पर फसल काश्त है। मौके पर 30 से 40 फीट रास्ता उपलब्ध है।
भीलवाड़ा मास्टर प्लान 2035 में	परिधी नियंत्रण पट्टी
आवेदित उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
प्रस्तुत ले-आउट प्लान अनुसार क्षेत्रफल विश्लेषण।	आवासीय 8647.42 वर्गमीटर 54.83 प्रतिशत; व्यावसायिक (आई.सी.) 427.35 वर्गमीटर 2.71 प्रतिशत; Park 1104.15 वर्गमीटर 7.00 प्रतिशत; P.U. 630.81 वर्गमीटर 4.00 प्रतिशत; OCF (Hospital) 630.81 वर्गमीटर 4.00 प्रतिशत; Road 4328.46 वर्गमीटर 27.46 प्रतिशत; कुल क्षेत्रफल – 15769.00 वर्गमीटर
स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकृत अधिकारी के आदेश क्रमांक LU2012/BHL/2025-26/100848 Date 15-10-2025

आवासीय	व्यावसायिक	Park	P.U.	OCF	Road
8647.42 वर्गमीटर 54.83 प्रतिशत	(आई.सी.) 427.35 वर्गमीटर 2.71 प्रतिशत	1104.15 वर्गमीटर 7.00 प्रतिशत	630.81 वर्गमीटर 4.00 प्रतिशत	(Hospital) 630.81 वर्गमीटर 4.00 प्रतिशत	4328.46 वर्गमीटर 27.46 प्रतिशत
कुल क्षेत्रफल – 15769.00 वर्गमीटर					

	क.अ.की रिपोर्ट	आवेदित भूमि मौके पर फसल काश्त है। मौके पर 30 से 40 फीट रास्ता उपलब्ध है।
10	विधि अधिकारी की रिपोर्ट	90 ए हेतु प्रस्तावित आराजीयात पर कार्यालय हाजा के रिकार्ड के अनुसार विवाद नही पाया गया है। वर्णित आराजीयात का स्वामित्व संलग्न जमाबंदी रिकोर्ड के अनुसार आवेदक गण के नाम पर है।प्रकरण में विहित शपथपत्र, सर्मपण पत्र, क्षतिपूर्ति बंध पत्र इत्यादि प्रस्तुत किये गये है।तकनीकी परिक्षण उपरांत कार्यवाही की जा सकती है।
11	भू–अवाप्ति अधिकारी की रिपोर्ट	नगर विकास न्यास की भूमि अवाप्ति शाखा में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आवेदित भूमि अवाप्ति से प्रभावित नहीं है।
12	पटवारी की रिपोर्ट	आवेदित भूमि मौके पर फसल काश्त है राजस्व ग्राम स्वरुपगंज की ओर जाने वाली आराजी सं. 199 के 30 फीट रास्ते पर स्थित है। आराजी सं. 199 गेमू. रास्ता होकर बिलानाम राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है।प्रस्तावित आराजीयात आइादी भूमि से 500 मीटर की परिधि में स्थित है।
13	न्यास तहसीलदार की रिपोर्ट	आवेदित भूमि मौके पर खाली पड़त है एंव बिजली के पोल लगे हुए है। संलग्न आवेदित भूमि मौके पर फसल काश्त है राजस्व ग्राम स्वरुपगंज की ओर जाने वाली आराजी सं. 199 के 30 फीट रास्ते पर स्थित है। आराजी सं. 199 गेमू. रास्ता होकर बिलानाम राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है।प्रस्तावित आराजीयात आइादी भूमि से 500 मीटर की परिधि में स्थित है।
14	तहसीलदार भीलवाड़ा	As per Rules

90–क की कार्यवाही के दौरान संबंधित विभाग/शाखा द्वारा की गई टिप्पणीः–

15	नगर नियोजक की रिपोर्ट	1. सेक्टर/मास्टर योजना/सड़क क्षेत्र नेटवर्क योजना का उध्यारोपन जो आवेदित भूमि तक पहुँच सड़क की स्पष्ट दर्शित करता हो। 2. क्या आवेदित भूमि को प्रभावित करने वाली रोपण गलियारा	पहूँच मार्ग हेतु आराजी सं. 199 से गेमू रास्ता है नही है।

Layout meeting date 27-10-2025

	पट्टी है /नही है	
	3. क्या आवेदित भूमि का कोई भी हिस्सा सेक्टर/मास्टर प्लान की सड़क के अधीन आता है /नही आता है।	नही है।
	4. आवेदित भूमि का क्षेत्र सुविधा के अधीन आता है (राज्य नीति, राज्य सरकार के आदेश/परिपत्र के उपबन्धो के अनुसार) यह क्षेत्र स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में नि:शुल्क अभ्यर्पित होगा और कुल आवंटित क्षेत्र से कम कर दिया जायेगा किन्तु ऐ मामलो में, जिसका पट्टा विलेख राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 जारी किए जाने की तारीख से पहले निर्मुक्त कर दिया गया है, कम नही किया जायेगा।	राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2024 के प्रावधान लागू होगें
	5. आवेदित भूमि का प्रयोजन मास्टर प्लान 2035 के अनुसार	आवासीय
	6. क्या आवेदित भमि के निकट किसी परियोजना स्थल चाहे विदयमान हो या अनुमोदित हो का ब्यौरा, प्रस्तावित /विदयमान सड़क नेटवर्क की, बराबर लगी हुई स्कीम के साथ संबंद्वता	नहीं
	7. क्या आवेदित भूमि अनुमोदन के लिये योग्य है।	अनुमोदन योग्य है।
	8. क्या स्थल से संबंधित कोई अन्य विनिर्दिष्ट ब्यौरे	लागू नही है
	9. मास्टर डवलपमेंट प्लान उपयोग की डी.सी.आर. अनुसार टिप्पणी	लागू नही है
	10. क्या मास्टर डेवलपमेंट प्लान में उक्त खसरा विशेष पर आपत्ति है/नही है।	नही है
6 अन्य बिन्दु	(1) आवेदित आराजियात का पहुँच मार्ग हेतु आराजी सं. 199 से गेमू रास्ता है (2) टाउनशिप पॉलिसी–2024 की पालना सुनिश्चित् की जाना अपेक्षित है। (3) टाउनशिप पॉलिसी–2024 के प्रावधानो के अंन्तर्गत नियमानुसार ई.डी.सी. राशि व अन्य शुल्क जमा कराये जाने होंगे। (4) नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 10/8/2020 के अनुसार प्रावधान रखे जाने होंगे। (5) उक्त भूमि पर भवन विनियम 2025 के प्रावधान लागू होंगे।	

निर्णयः– उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति करते हुये निम्न शर्तो के साथ उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया–

(i) आवेदित आराजियात का पहुँच मार्ग हेतु आराजी सं. 199 से गेमू रास्ता है जिसकी मौके पर सुनिश्चितता की जानी होगी।

(ii) आवेदित भूमि पर प्रस्तावित योजना की सड़कों का समीपीय अनुमोदित ले–आउट प्लान से मिलान किया जाना होगा।

(iii) राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त ले–आउट प्लान का पंजियन राजस्थान रेरा में करवाया जाना होगा।

(iv) प्रकरण में राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधान लागू होंगे।

(v) आवेदित भूमि पर प्रस्तावित ले–आउट प्लान मे पार्क एवं सुविधा क्षेत्र को समुचित रूप से दर्शाया जाना है।

(vi) संदर्भित भूमि हेतु समस्त शुल्क यथा बाह्य विकास शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत विक्रय योग्य क्षेत्र का 10 प्रतिशत शुल्क आदि जमा करवाये जाने होंगे।

(vii) राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के बिन्दु अनुसार आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान में विकास कार्यो के दृष्टिगत पेयजल की सुविधा, विद्युत सुविधा आदि संबंधित विभाग से नियमानुसार राशि विकासकर्ता/आवेदक द्वारा जमा करवाई जाकर उपलब्ध करवाई जानी होगी।

(viii) राज्य सरकार के आदेश अनुसार आवेदित भूमि पर प्रस्तावित योजना में ठोस कचरा प्रबंधन एवं मोबाईल टॉवर हेतु स्थल चिन्हित करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

7. क्या आवेदित भूमि अनुमोदन के लिये योग्य है। 8. क्या स्थल से संबंधित कोई अन्य विनिर्दिष्ट ब्यौरे 9. मास्टर डवलपमेंट प्लान उपयोग की डी.सी.आर. अनुसार टिप्पणी 10. क्या मास्टर डेवलपमेंट प्लान में उक्त खसरा विशेष पर आपत्ति है/नही है।	नहीं है। अनुमोदन योग्य लागू नही है लागू नही है नही है
अन्य बिन्दु	(1) आवेदित भूमि में पहुँचमार्ग हेतु पूर्व में स्वीकृत लेआउट प्लान आराजी सं. 2629, 2633 से 40 फीट रास्ता उपलब्ध है। (2) टाउनशिप पॉलिसी–2024 की पालना सुनिश्चित् की जाना अपेक्षित है। (3) टाउनशिप पॉलिसी–2024 के प्रावधानो के अंन्तर्गत नियमानुसार ई.डी.सी. राशि व अन्य शुल्क जमा कराये जाने होंगे। (4) नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 10/8/2020 के अनुसार प्रावधान रखे जाने होंगे। (5) आवेदित भूमि पर एकल पट्टा(योजना) के अंतर्गत आवेदन किया गया है। अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.05.2016 के अनुसार सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार राशि जमा करवाई जानी है। (6) उक्त भूमि पर भवन विनियम 2025 के प्रावधान लागू होंगे।

निर्णयः– उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति करते हुये निम्न शर्तो के साथ उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया–

(i) आवेदित भूमि में पहुँचमार्ग हेतु पूर्व में स्वीकृत लेआउट प्लान आराजी सं. 2629, 2633 से 40 फीट रास्ता उपलब्ध है। जिसकी मौके पर सुनिश्चितता की जानी होगी।

(ii) उक्त प्रस्तावित भूमि पर भवन विनियम 2025 के मानदण्ड लागू होंगे।

(iii) उक्त प्रकरण में टॉउनशिप पॉलिसी 2024 के कम में उक्त भूमि के 90 ए के आदेश दिनांक 17.07.2025 के बाद जारी होने से नियमानुसार राशि जमा होने के उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावेगा।

(iv) उक्त प्रस्तावित भूमि पर भवन विनियम 2025 के मानदण्ड लागू होंगे।

(v) राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के बिन्दु संख्या 4.1 के अनुसार आवेदित भूमि के ले–आउट प्लान में विकास कार्यो के दृष्टिगत पेयजल की सुविधा, विद्युत सुविधा आदि संबंधित विभाग से नियमानुसार राशि विकासकर्ता/आवेदक द्वारा जमा करवाई जाकर उपलब्ध करवाई जानी होगी।

(vi) राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधानों की पालना करनी होगी।

उप नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (सदस्य सचिव)	अधिशाषी अभियंता नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (सदस्य)	विशेषाधिकारी नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (सदस्य)	सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (अध्यक्ष)

क्रमांक :–मानचित्र/ले–आउट/2024/4596-4600 दिनांक :– 28/10/25

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।
3. अधीक्षण अभियंता, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।
4. तहसीलदार, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा।

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा (सदस्य सचिव)

Scanned with OKEN Scanner